भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2910
दिनांक 17.12.2025 को उत्तर देने के लिए

रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने का उद्देश्य

2910. श्री चंदन चौहानः
श्री हरीभाई पटेलः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे खनिजों के लिए तर्कसंगत रॉयल्टी दरों के पीछे क्या उद्देश्य हैं;
(ख) संशोधित रॉयल्टी दरों से घरेलू उत्पादन, आयात और समग्र आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
(ग) महत्वपूर्ण और सहायक खनिज ब्लॉकों की नीलामी में संशोधित रॉयल्टी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तरीकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): केंद्र सरकार ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और ज़िरकोनियम वाले खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 20.11.2025 से इन खनिजों की रॉयल्टी की दरों को युक्तिसंगत बनाया है। ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और ज़िरकोनियम उच्च-तकनीक वाले अनुप्रयोगों और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं। ग्रेफाइट और ज़िरकोनियम खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों में से हैं। इन खनिजों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि से आयात और आपूर्ति श्रृंखला की अतिसंवेदनशीलता को कम करने तथा देश में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने की परिकल्पना की गई है। संशोधित रॉयल्टी दरें नीलामी के लिए रखे गए इन खनिजों के सभी ब्लॉकों पर लागू होती हैं।

*****